

FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (वि.सू.) 26)

बायतु

जिला - बाड़मेर

मुकाम

अदालत

बनाम

भगवानराम

किस्म मुकदमा

अपनाप

86 242 का नं 394622

सन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री 725122</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 86</p> <p>राजस्थान कायदा/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मत तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.10.22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p> <p>प्रार्थी व प्रार्थी के अधिकार उपाधिकार विप्रार्थी तलबालदार बायतु का नोटिस तामील हुआ जिला जिले शामिल पत्रावली विभा गया। प्रार्थी भगवानराम द्वारा आप-पत्र उत्तुल 87 सिविल विभा गया 87 मौजा - चैनागामो 87 ठाणी परवार मण्डल टारपाली तलबाल - बायतु जिला-बाड़मेर के पत्रावली नम्बर - 669/266 रडवा - 13.00 वारा भूमि किस्म वारानी लोभम पर 86जा 3मत 87 उक्त भूमि राजविम भूमि डोन 8 डारण मरे विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 87</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>भगवानराम</p>

18/10/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय सहायक व
(पिवासीन अधि
राजस्व
प्राथमिक
1. मंगलनाथ

पारा 9। के अन्तर्गत कार्रवाई की गई एवं
संवत् 2068 के आज दिनांक तक मेरा भूखंड
के रूप में उक्त भूमि पर डब्जा डाला गया है
तथा निम्नलिखित रूप से मेरे द्वारा डाला की
गई, मेरे द्वारा संवत् - 2076-2077 में उक्त
भूमि पर डाला की गई थी परन्तु टल डा
पटवारी द्वारा मेरे नाम के गिरदावरी व अती-
कमरा दर्ज नहीं किया गया जो सदभावित
भूल रही है। संवत् - 2074-2075 में
अडाल होने के गिरदावरी मेरे नाम के नहीं
की गई उक्त भूमि पर मेरा लगावा डब्जा
डाला, रडवासी झोपडा पानी की टोकली बनी
हुई है। इसलिए मेरा रिव्यू फावेडन स्वीकार
किया जाकर उक्त भूमि को मेरे नाम निम्न-
मन किया जावे ता वापस-पत्र को शामिल
पत्रावली किया गया। अतः वास्तविक पत्रा-
वली दिनांक - 27/10/2022 को पेश है।

27/10/2022

अर्धी वहील उपस्थित। अर्धी के
अधिकार की वकालत सुनी गई, पत्रावली
व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड तथा
अर्धी द्वारा उपलब्ध वापस-पत्र को डेवलपमेंट
किया गया, वाड डेवलपमेंट अर्धी का रिव्यू
फावेडन स्वीकार किया जाकर फावेड केलग के
लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा-
वली जैमल कुमार होकर दर्ज नम्बर के
रूप में दाखिल उक्त है।

उपस्थित अधिकारी वापस
जिला-वाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या- 392/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भगवानाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी चैनाणियों की ढाणी, सिगोडिया, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :-

1. श्री नरपत पूनड़ प्रार्थीगण वकील

-: आदेश :-

दिनांक : 27.10.2022

प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा किस्म बारानी सोयम पर कब्जा काशत है। उक्त भूमि राजकीय होने के कारण प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं संवत् 2068 से आज दिनांक तक प्रार्थीगण का अतिक्रमी के रूप में उक्त भूमि पर कब्जा काशत रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा उद्घोषणा अतिक्रमी काशतकारों के नियमन करने की जारी की गई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु आवेदन पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा तहसीलदार गिड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तथा नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रख कर आदेश क्रमांक राजस्व/2022/07 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रार्थीगण के संवत् 2076, 2077 में अतिक्रमी व कब्जा काशत नहीं होने का हवाला देते हुए, आवेदन को खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काशत है। इस प्रकार प्रार्थीगण के संवत् 2068 से आज दिनांक तक अतिक्रमी व कब्जा काशत होने के बावजूद भी पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों व कानूनी बिन्दु पर मनन नहीं करते हुए प्रार्थीगण का नियमन आवेदन खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा का नियमन करने का रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। साथ ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की देरी को माफ करने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर, उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को सदभावी भूल मानते हुए एवं इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रिव्यू प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विप्रार्थी तहसीलदार बायतु को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार बायतु का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे के संबंध में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा सरकारी भूमि पर प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक कब्जा काश्त होने व राजस्थान सरकार के विभागीय आदेश क्रमांक प.6(44)राज-6/2021/22 जयपुर दिनांक 06.12.2001 के अनुसार प्रार्थीगण पात्रता रखने के बावजूद भी उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन नहीं किया जाकर, प्रार्थीगण का नियमन आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू आवेदन स्वीकार कर आदेश क्रमांक राजस्व/2022/07 दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाकर, मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा भूमि का नियमन प्रार्थीगण के नाम से करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, कानूनी बिन्दु व प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु पेश की गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा भूमि पर संवत् 2068 से 2075 तक का कब्जा काश्त प्रमाणित है एवं संवत् 2076 व 2077 में कब्जे के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये हैं। चूंकि इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-4) विभाग के क्रमांक.प.6(6)राज.-6/97पार्ट जयपुर दिनांक 22.09.2022 के अनुसरण में प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर मौजा चैनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 669/266 रकबा 13.00 बीघा भूमि के नियमन के संबंध में जारी किये आदेश क्रमांक राजस्व/2022/07 दिनांक 03.06.2022 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमन पत्रावली को पुनः दर्ज नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, पत्रावली नियमन पत्रावली के संलग्न रहें।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आदेश आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला-बाड़मेर